

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 30 सितम्बर, 2002 / आश्विन 08, 1924 (शक)

संख्या: 237

सदस्यों की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्वश्री जगदीश मुखी, जय भगवान अग्रवाल, अविनाश साहनी, रविन्द्र नाथ बंसल, सुशील चौधरी, साहब सिंह चौहान, नरेश गौड़, मोहन सिंह बिष्ट एवं ब्रह्म सिंह तंवर को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 26/09/2002 के अपराह्न 12.40 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत तीन मूर्ति गोल चक्कर पर नजर बन्द किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् दिनांक 26/09/2002 को अपराह्न 1.00 बजे, तीन मूर्ति गोल चक्कर, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।"

एस० के० शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Monday 30th September, 2002/ Aashvina 08, 1924(Saka)

No.: 237

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi:

"I have the honour to inform you that S/Shri Jagdish Mukhi, Jai Bhagwan Aggarwal, Avinash Sahni, Ravinder Nath Bansal, Sushil Choudhary, Sahab Singh Chauhan, Naresh Gaur, Mohan Singh Bisht and Brahm Singh Tanwar Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at Round About Teen Murti at 12.40 P.M. on 26.9.2002.

They alongwith his supporters was released at 1.00 P.M. from Round About Teen Murti, New Delhi, on the same day i.e. 26.9.2002."

S.K.SHARMA
SECRETARY